

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-28/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सुनील कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिनांक-03.11.2022 से 30.07.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1233(25) दिनांक-19.06.2025 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-180, 230, 232 एवं 234 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है.-

1	दिनांक-03.11.2022 से 22.02.2023 तक	- कुल-120 (एक सौ बीस) दिन उपार्जित अवकाश।
2	दिनांक-23.02.2023 से 21.04.2023 तक	- कुल-60 (साठ) दिनों को रूपान्तरित अवकाश के रूप में (120 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
3	दिनांक-22.04.2023 से 30.07.2023 तक	- कुल-90 (नब्बे) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम पाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -


(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-28/2025- 708(2) पटना, दिनांक 8/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० सुनील कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।